

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2024/

दिनांक :

संशोधन आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक राजपत्रित/सामान्य/प-156/2024/86 दिनांक 18.03.2024 द्वारा जारी विशिखानु प्रशिक्षण केन्द्र आवंटन हेतु जारी सूची में निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

क्र. सं.	आदेश मे क्र.सं.	छात्र/छात्रा का नाम	संशोधन
1	3	डॉ0 मोहम्मद रफीक सिन्धी पुत्र श्री हकीम खां	प्रशिक्षण केन्द्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, फलोदी के स्थान पर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, फलोदी पढ़ा जावै।

शेष यथावत।

- 34 -

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राजस्थान जयपुर।

क्रमांक : राजपत्रित/सामान्य/प-156/2024/130

दिनांक : 05/04/2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. कुल सचिव, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर।
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, फलोदी।
5. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि कि उक्त पत्र को आज ही विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने की व्यवस्था करावै।

(B)

निदेशक (जन स्वास्थ्य)

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,

राजस्थान जयपुर।